रेलवे कार्यशालाओं, रखरखाव शेड कोचिंग डिपो और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन

लेखापरीक्षा का उद्देश्य 2

क्या रेलवे कार्यशाला, रखरखाव शेड और उत्पादन इकाइयों में उत्पन्न अपशिष्ट का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान लागू विधियों और नियमों के अनुसार किया गया।

भारतीय रेल ने विभिन्न उत्पादन इकाइयों के अलावा लोकोमोटिव/कोच/वैगनों के लिए कार्यशालाओं और रखरखाव शेड का एक नेटवर्क स्थापित किया है। रखरखाव/मरम्मत/उत्पादन गतिविधियों के दौरान, ये इकाइयां भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का उत्पादन करती हैं जो सफाई एजेंटों, तेल, स्नेहक, ग्रीज़, भारी धातुओं और खतरनाक ठोस पदार्थों से दूषित होता हैं। अपशिष्ट जल और उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट पर्यावरण के नजरिए से अत्यंत चिंता का क्षेत्र है जिसमें केंद्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा बनाए गए अधिनियमों/नियमों के अनुसार उचित निर्धारण, उपचार, भंडारण और निपटान कीआवश्यकता है। इन गतिविधि केन्द्रों (चयनित 10144कार्यशालाओं, शेड और उत्पादन इकाइयों और 30 कोचिंग डिपो45) में अपशिष्ट के प्रबंधन में पाई गई किमयों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

3.1 जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित करने के लिए सहमित (सीटीई) या परिचालन हेतु सहमित (सीएफओ)

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1978 और 1988 में यथा संशोधित) की धारा 24, 25 और 26 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की पूर्व सहमित के बिना किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं करेगा, जिसमें सीवेज या ट्रेड एफ्लुएंट की धारा या कुएं या सीवर या भूमि पर निस्तारित करने की संभावना हो। यदि जल अधिनियम लागू होने से पहले कोई संयंत्र परिचालन में था तो उसे तीन महीने की अविध के भीतर सीटीई/सीएफओ प्राप्त करना आवश्यक था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अगस्त 2020 में जारी अपने निर्देशों में यही मत व्यक्त किया था।

चयनित इकाइयों में सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की जांच की गई और यह पाया गया कि 40 इकाइयों में मार्च 2020 तक सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किए गए थे

^{44 22} मैकेनिकल कार्यशालाएं, 09 एस एंड टी कार्यशालाएं, 10 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 18 डीजल लोको शेड, 15 इलेक्ट्रिक लोको शेड, 19 मेम्/डेम्/ईएमयू कार शेड और 8 उत्पादन इकाई

⁴⁵ आरपीयू और मेट्रो रेलवे, कोलकाता सहित 17 जोनों में।

⁴⁶ ओए संख्या 141/2014 (सलोनी सिंह बनाम भारत संघ) अगस्त 2020 में जारी

(अनुलग्नक -3.1)। इन इकाइयों द्वारा सीटीई/सीएफओ प्राप्त न करने के अभिलेख में कोई विशिष्ट कारण उपलब्ध नहीं थे। जल अधिनियम के तहत विशिष्ट शर्त के बावजूद, इन 40 इकाइयों⁴⁷ में अपर्याप्त अनुपालन पर्यावरणीय चिंताओं के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अप्रभावी मानीटरिंग का संकेत है।

3.2 खतरनाक और अन्य अपशिष्ट की सुपूर्दगी के लिए एसपीसीबी से प्राधिकार

खतरनाक अपशिष्ट को किसी भी अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया गया है जो इसके किसी भी भौतिक, रासायनिक, प्रतिक्रियाशील, विषाक्त, ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक विशेषताओं के कारण खतरे का कारण बनता है या स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होने की संभावना है, चाहे वह अकेले हो या जब अन्य अपशिष्टों या पदार्थों के संपर्क में हो।

खतरनाक और अन्य अपिशट (प्रबंधन, और सीमापार गितविधि) नियम, 2016 के नियम 6 (1) में यह प्रावधान है कि खतरनाक अपिशष्ट के उत्पादन और सुपुर्दगी में लगी सुविधा के प्रत्येक अधिभोगी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसे अधिभोगी, जिनमें रेलवे कार्यशालाएं, शेड और उत्पादन इकाइयां शामिल हैं, को अन्य अपिशष्टों से उत्पन्न खतरनाक अपिशष्ट को पृथक करने और (एसपीसीबी)/सीपीसीबी द्वारा निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार इसके निपटान से पहले ठीक ढंग से भंडारण करने की आवश्यकता होती है। ययनित इकाइयों में संबंधित अभिलेख की जांच से पता चला कि 50 इकाइयों (अनुलग्नक -3.1) ने संबंधित एसपीसीबी से खतरनाक अपिशष्ट प्रबंधन नियमों के तहत सीटीई/सीएफओ प्राप्त नहीं किया था। इस प्रकार, इन इकाइयों द्वारा खतरनाक अपिशष्ट की पहचान, पृथक्करण, भंडारण और निपटान के संबंध में इन नियमों के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। मानीटिरिंग के अभाव के कारण विशेष रूप से इन इकाइयों के कामगारों और सामान्य रूप से पड़ोसी समुदाय के कामगारों के स्वास्थ्य पर परिणामी प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.3 एफ्लुएंट और खतरनाक अपशिष्ट के संचालन के लिए एसपीसीबी प्राधिकार में विलम्ब

खतरनाक और अन्य अपशिट (प्रबंधन और सीमापार गतिविधि) नियम, 2016 के नियम 6 (1) में प्रावधान है कि इन नियमों के तहत प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन पिछले प्राधिकार की समाप्ति से तीन महीने पहले किया जा सकता है।

4

^{47 02} मैकेनिकल कार्यशालाएं, 05 एस एंड टी कार्यशालाएं, 06 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 02 डीजल लोको शेड, 08 इलेक्ट्रिक लोको शेड और 17 मेम्/ईएमय् कार शेड

^{48 06} यांत्रिक कार्यशालाएं, 05 एस एंड टी कार्यशालाएं, 06 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 07 डीजल लोको शेड, 08 इलेक्ट्रिक लोको शेड और 18 मेम्/डेम्/ईएमयू कार शेड

लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में संबंधित अभिलेख की जांच से पता चला कि 21 इकाइयों⁴⁹ (अनुलग्नक-3.2) ने उक्त नियमों/शर्तों का अनुपालन नहीं किया था। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के साथ-साथ जल अधिनियम के तहत सीएफओ के नवीकरण के संबंध में, प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करने में देरी देखी गई, जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 3.1 - एसपीसीबी से प्राधिकार मांगने की प्रास्थित

क्र.सं.	एसपीसीबी से प्राधिकार नवीकरण के	हजार्डस वेस्ट प्रबंधन	जल अधिनियम के
	लिए की मांग में देरी की रेंज	नियम के तहत इकाइयों	तहत इकाइयों की
		की संख्या	संख्या
1	1 से 06 महीने	एक	3
2	06 से 18 महीने	एक	8
3	18 से 30 महीने	दो	5
4	30 महीने से अधिक	छ:	6

नवीनीकरण प्राप्त करने में ऐसी देरी का कोई कारण रेलवे प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.4 पर्यावरण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 14 के संदर्भ में औद्योगिक संचालन या प्रक्रिया करने वाले प्रत्येक संगठन को संबंधित एसपीसीबी को वार्षिक रूप से एक पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करना होता है जैसा कि नीचे तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 3.2 - एसपीसीबी को वार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले पर्यावरणीय विवरण

फॉ	र्म	वर्तमान		निम्न के बारे में किया जाने वाला		फाइल करने की			
		प्रावधान/नियम		प्रकटीकरण			निर्धारित तिथि		
फॉर्म	4	खतरनाक	अपशिष्ट	श्रेणीवार	उत्पन्न	अपशिष्ट	की	30 जून	
		प्रबंधन नियम	T 2016	मात्रा,	निपटान	सुविधा	या		
				पुनर्चक्रण	या अन्य	को भेजी	गई		
				मात्रा, इब	न-हाउस उ	पयोग की	गई		
				मात्रा और वर्ष के अंत में भंडारण					
				में मात्रा					

^{49 06} मैकेनिकल कार्यशालाएं, 01 एस एंड टी कार्यशाला, 01 इंजीनियरिंग कार्यशाला, 05 डीजल लोको शेड, 04 इलेक्ट्रिक लोको शेड और 04 पीयू

फॉर्म V	जल (प्रदूषण की	जल और कच्ची सामग्री की खपत, 30 सितंबर
	रोकथाम और	पर्यावरण में प्रवाहित प्रदूषक और
	नियंत्रण) अधिनियम	इकाइयों द्वारा उत्पन्न ठोस
	1974 या वायु	अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्टों
	(प्रदूषण की रोकथाम	की प्रमात्रा
	और नियंत्रण)	
	अधिनियम 1981 या	
	दोनों	

लेखापरीक्षा ने उक्त दो वार्षिक पर्यावरणीय विवरणों को प्रस्तुत करने की स्थिति की जांच की और निम्नलिखित पाया:

- (i) 83 इकाइयों⁵⁰ द्वारा पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत फॉर्म-V संबंधित एस पी सी बी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इनमें से 40 इकाइयों में जल अधिनियम के तहत सहमति प्राप्त नहीं की गई थी (अनुलग्नक-3.1)।
- (ii) 84 इकाइयों⁵¹ में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत फार्म-4 जमा नहीं किया गया। इनमें से 50 (अनुलग्नक-3.1) ने खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है।

3.5 खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए अभिलेखों का रखरखाव

किसी भी सुविधा में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट खतरे का कारण बनता है या स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होने की संभावना होती है, इसलिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (हजार्डस वेस्ट मेनेजमेंट नियम) में ऐसे अपशिष्ट के उचित पृथक्करण, भंडारण, लेबलिंग और निपटान के लिए विभिन्न शर्तों का प्रावधान किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे तालिका 3.4 में दर्शाए किए गए हैं:-

तालिका 3.4 - खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत पालन किए जाने वाले आवश्यक नियमों/प्रावधानों का सार

नियम	नियम/प्रावधान का सार	निर्धारित फॉर्म
17	कंटेनरों में इस तरह के अपशिष्ट का उचित भंडारण और इसकी	फॉर्म - 8
	लेबलिंग	
	इस तरह के अपशिष्ट की बिक्री, हस्तांतरण, भंडारण, पुनःचक्रण,	फॉर्म - 3
	उपयोग आदि के अभिलेख का रखरखाव	

⁵⁰ 14 यांत्रिक कार्यशालाएं, 09 एसएंडटी कार्यशालाएं, 10 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 13 डीजल लोको शेड, 13 इलेक्ट्रिक लोको शेड, 19मे म्/डेम्/ईएमयू कार शेड और 05 उत्पादन इकाइयां

_

⁵¹ 16 यांत्रिक कार्यशालाएं, 09 एस एंड टी कार्यशालाएं, 10 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं, 12 डीजल लोको शेड, 13 इलेक्ट्रिक लोको शेड, 19मे मू/डेमू/ईएमयू कार शेड और 05 उत्पादन इकाइयां

18 (2)	खतरनाक अपशिष्ट की प्रय्तेक बिक्री/निर्णय के लिए परिवहन	फॉर्म - 9
	आपातकालीन (TREM) कार्ड जारी करना	
19 (1)	मालसूची प्रणाली - खतरनाक अपशिष्ट को जनरेटर छोडने के	फॉर्म - 10
	समय से लेकर उपचार/निपटान स्थल तक पहुंचने तक	

लेखापरीक्षा में चयनित 131 इकाइयों (30 कोचिंग डिपो सहित) में खतरनाक अपशिष्ट के उचित भंडारण और निपटान के लिए निर्धारित नियमों का पालन एक सीमा तक किया गया और निम्नलिखित बिंदु सामने आए:-

- i. 102 इकाइयों में खतरनाक अपशिष्ट के उचित भंडारण और लेबलिंग को नहीं किया गया,
- ii. 110 इकाइयों में भंडारण, उपयोग के लिए अभिलेख नहीं रखा गया,
- iii. 117 इकाइयों में खतरनाक अपशिष्ट की प्रत्येक बिक्री/हस्तांतरण के लिए परिवहन आपातकालीन (टीआरइएम) कार्ड जारी नहीं किया गया,
- iv. 101 इकाइयों में खतरनाक अपशिष्ट के प्रत्येक निर्गम/बिक्री के लिए इसके निपटान तक खतरनाक अपशिष्ट की ट्रैकिंग के लिए निर्धारित मालसूची प्रणाली का पालन नहीं किया।

(अनुलग्नक - 3.3)

उपर्युक्त निर्धारित नियमों का पालन न करने से मॉनीटरिंग तंत्र की पूरी प्रणाली समग्र रूप से अप्रभावी हो जाती है जो पर्यावरण के साथ-साथ इन इकाइयों में कार्यरत कामगार/स्टाफ के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इसमें खतरनाक अपशिष्ट की सुपूर्दगी के लिए निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संवेदीकरण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

3.6 अनुमेय अविध के बाद खतरनाक अपशिष्ट का भंडारण

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन, और सीमापार गतिविधि) नियम, 2016 (हजार्डस वेस्ट मेनेजमेंट नियम) के नियम 8 (1) में यह निर्धारित किया गया है कि सुविधाओं के अधिभोगी नब्बे (90) दिनों से अधिक अविध के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का भंडारण नहीं कर सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) कुछ निर्दिष्ट मामलों में नब्बे दिनों की उक्त अविध को बढ़ाकर एक सौ अस्सी (180) दिन कर सकते हैं। चयनित इकाइयों में संबंधित अभिलेख की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:-

- 1. खतरनाक अपशिष्ट⁵² की भंडारण अविध 36 इकाइयों में नब्बे दिनों की निर्धारित अविध से अधिक थी। खतरनाक अपशिष्ट की वास्तिवक भंडारण अविध 06 इकाइयों में 3 से 6 महीने, 12 इकाइयों में 6 महीने से अधिक से लेकर 12 महीने तक, छह इकाइयों में 12 महीने से अधिक से लेकर 24 महीने तक और 12 इकाइयों में 24 महीने और अधिक थी।
- 2. कुछ इकाइयों⁵³ में भंडारण अविध 8 से 9 साल या उससे भी अधिक पाई गई थी। अभिलेखों से यह पता नहीं चलता था कि इन इकाइयों ने अनुमेय सीमा से अधिक ऐसे अपशिष्ट के भंडारण के लिए एसपीसीबी से कोई अनुमित प्राप्त की है।

खतरनाक अपशिष्ट का समय पर निपटान इसके उचित प्रबंधन के लिए और व्यक्तियों या पर्यावरण को इस के कारण होने वाले खतरे को रोकने के लिए भी होना चाहिए, इसलिए लंबी अविध के लिए ऐसे अपशिष्ट का भंडारण करने वाली रेलवे इकाइयों की कार्रवाई से निधारित सांविधिक प्रावधान



उत्तर पूर्व रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको शेड/गोंडा में खुली जगह में पड़ा खतरनाक अपशिष्ट

अप्रभावी हो जाते हैं। इस तरह के लंबे भंडारण के साथ, पर्यावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए संभावित खतरा रहता है।

3.7 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली/ग्रीन रेटिंग प्रमाणन

रेलवे बोर्ड के निर्देशों⁵⁴ (जून 2015) के संदर्भ में, जोनल रेलवे को गुणवत्ता के लिए ISO 9001, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के लिए ISO 14001 और व्यावसायिक स्थिति और सुरक्षा (ओएचएसएएस) के लिए ISO 18001 को संबोधित करते हुए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आइएमएस) के माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली रखना आवश्यक है। जोनल रेलवे से कहा गया कि वह सभी पीय्/कार्यशालाओं के साथ-साथ ईएमय्/डेम् कार शेड सिहत लोको शेड और प्रमुख कोचिंग डिपो के लिए आइएमएस प्रमाणन प्राप्त करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे। फरवरी 2017 में, जोनल रेलवे को ऊर्जा संरक्षण उपायों, नवीनीकरणीय के उपयोग, जल पुनर्चक्रण/वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और तरल) और

⁵² जैसे अपशिष्ट तेल, तेल कीचड़, ईटीपी कीचड़, पेंट कीचड़, प्रयुक्त फिल्टर, ग्रीज़/ स्नेहक के साथ मिश्रित कपास अपशिष्ट आदि।

⁵³ सिग्नल कार्यशाला/हावड़ा, बीएलडब्ल्यू/वाराणसी, लोको कैरिज और वैगन कार्यशाला/दाहोद

⁵⁴ पत्र सं.2015/इएंडएचएम/03/02 दिनांक 11.06.2015,

इसके निपटान पर मापदंडों के निर्धारण को शामिल करते हुए रेलवे प्रतिष्ठानों की ग्रीन रेटिंग प्रमाणन शुरू करने के निर्देश 55 दिए गए थे।

चयनित रेलवे कार्यशालाओं, शेडों, उत्पादन इकाइयों और कोचिंग डिपो (131 इकाइयों) के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आइएमएस) या ग्रीन रेटिंग के तहत प्रमाणीकरण केवल 88 इकाइयों (67 प्रतिशत) के संबंध में प्राप्त किया गया था।

इस प्रकार, इस संबंध में निर्देश जारी होने के पांच साल बाद भी पर्यावरणीय मुद्दों के गुणवत्ता प्रबंधन की प्रणाली पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकी। इसके अलावा, 2019 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के माध्यम से रेल मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर यह भी देखा गया कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणन और ग्रीन रेटिंग क्रमशः केवल 10 और 2 प्रतिशत स्टेशनों दवारा प्राप्त की गई थी।

3.8 निष्कर्ष

रेलवे इकाइयों में रखरखाव, मरम्मत और उत्पादन गतिविधियां भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं जिससे पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता उत्पन्न होती है। सी पी सी बी/एसपीसीबी द्वारा बनाए गए जल अधिनियम और क्रियाविधि में इस पहलू के समाधान के लिए विभिन्न प्रावधानों को निर्दिष्ट किया गया। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि एनजीटी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सीटीई/सीएफओ प्राप्त किए बिना बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयां प्रचालन कर रही थीं।

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित निर्धारित विनियमों के साथ-साथ एसपीसीबी द्वारा निर्धारित शर्तों का भी अनुपालन नहीं किया गया। इसके अलावा, खतरनाक अपशिष्ट और एफ्लुएंट की सुपुर्दगी के लिए एसपीसीबी से प्राधिकार प्राप्त करने में देरी के मामले सामने आए हैं।

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार गतिविधि) नियमों में खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण, परिवहन और निपटान के लिए निर्धारित प्रणाली/क्रियाविधि का सही अर्थ में पालन नहीं किया गया। अनुमेय सीमा से बाद भंडारित किए जाने के खतरनाक अपशिष्ट के मामले पाए गए थे।

ⁱ⁵ पत्र सं.2015/इएनएचएम/12/02 दिनांक 01.02.2017

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- भारतीय रेल नामित प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन (सीटीई/सीएफओ) प्राप्त करने की मूलभूत आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।
- ईटीपी/एसटीपी के नियोजन एवं संस्थापन की धीमी प्रगति के कारण विभिन्न अनुरक्षण एवं उत्पादन इकाइयों द्वारा पर्यावरण में छोड़े गए अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट, प्रदूषकों तथा खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रणाली जल अधिनियम एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में दोषपूर्ण थी।
- उत्पन्न अपशिष्ट के स्वरूप और प्रमात्रा का प्रकटन करने वाले अपेक्षित पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करने में रेलवे इकाइयां विफल रही जिससे मॉनीटिरंग तंत्र कमजोर हो गया।

3.9 सिफारिश

भारतीय रेल को आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सुनिश्चित करने और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए रखरखाव और उत्पादन इकाइयों में लगे कार्यबल को संवेदनशील बनाने के उपाय शुरू करने की आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरे से बचा जा सके।